



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

संख्या : /अनु-7/मु०अ०(हा०)/2018

दिनांक : 30/07/2018

कार्यालय ज्ञाप

1. एतद्वारा आवास आवंटन समिति के पूर्व में निर्गत सूचना सं० 64/अनु-7/अधि०आवास दिनांक 18.01.2018 के क्रम में सभी लखनऊ नगर स्थित विभागीय आवास के आवंटन हेतु इच्छुक प्रार्थियों से अपेक्षा है कि माह जनवरी एवं माह जुलाई में वरिष्ठता की सूची के updation हेतु यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/लखनऊ नगर के बाहर स्थानान्तरण/निजी आवास में चले जाने के दृष्टिगत उसकी लखनऊ स्थित विभागीय आवास हेतु पात्रता समाप्त हो गयी है, तो तत्सम्बन्धी सूचना तत्काल ईमेल/पत्र द्वारा कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) को अवगत कराये, जिससे उक्त सूचना की पुष्टि करते हुए, निर्गत होने वाली संशोधित वरिष्ठता सूची में उक्तानुसार संशोधन समाहित किया जा सके।
2. आवेदकों द्वारा लखनऊ स्थित विभिन्न विभागीय/अधिकारी/कर्मचारी कालोनियों में आवास आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर वरिष्ठता सूची इस कार्यालय द्वारा बनाई जाती हैं परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ आवेदकों द्वारा आगे समय-समय पर कालोनी/तल की वरीयता परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है यद्यपि उक्त परिवर्तित choice की वरिष्ठता उसके लिए दिये गये आवेदन की तिथि से ही प्रभावी मानी जाती है तथापि प्रथम मूल आवेदन के समय दी गयी choice की वरिष्ठता यथावत् बनी रहती है। इस प्रकार ऐसे आवेदकों की दो वरिष्ठताएं हो जाती है जबकि वरिष्ठता सूची में उनका नाम एक ही स्थान पर आता है। यह अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है।
3. वर्तमान में आवासों की रिक्तता सम्बन्धी सूचना आते ही choice बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति व निर्विवाद वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के उद्देश्य से आवेदकों को केवल एक बार ही choice देने तथा उसे आवास आवंटित होने तक यथावत् बने रहने का प्राविधान किया जाता है।

आवास आवंटन समिति

संख्या : 930-/अनु-7/तददिनांक

✓प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (वेब) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(आर०सी० मौर्य)

संयोजक एवं सदस्य

अधिकारी आवास आवंटन समिति